न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 19.11.2021

जरिये मुनेश कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 ताराचन्द एंव मनीष कुमार पुत्र श्री मदनलाल टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय नोजल एंव एक भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार –प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अति.जिला कलेक्टर टोंक के नेतृत्व में ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 29.10.2020 को समय 10. 45 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक ताराचन्द एवं मनीष कुमार पुत्र श्री मदनलाल,मेहन्दी बाग टोंक के मकान परिसर पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री ताराचन्द उपस्थित पाये गये तथा मौके पर अवैध रूप से नकली घी बनाने का कार्य किया जा रहा था। मकान परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर(मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	322444	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
02	647262	भारत गैस	14.2	15.7	26	10.3

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों [illegible] दुरूपयोग कर अवैध रूप से मौका स्थल पर ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 10.3 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि श्रीमान अति. जिला कलेक्टर महोदय टोंक के नेतृत्व में ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 29.10.2020 को समय 10.45 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक ताराचन्द एवं मनीष कुमार निवासी मेहन्दी बाग टोंक के मकान परिसर पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर पहुॅचने पर मौके पर श्री ताराचन्द उपस्थित पाये गये तथा मौके पर अवैध रूप से नकली घी बनाने का कार्य किया जा रहा था।मकान परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप,रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से नकली घी बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था । घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 10.3 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद शफिक,इण्डेन गैस एजेन्सी को सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 10.3 Kg एलपीजी,गैस पाईप,मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 29.10.2020 के अनुसार ताराचन्द एवं मनीष कुमार पुत्र श्री मदनलाल निवासी मेहन्दी बाग टोंक के मकान की तलाशी/निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	322444	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
02	647262	भारत गैस	14.2	15.7	26	10.3

आकस्मिक जांच करने पर जांच दल द्वारा मकान मे मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मोहम्मद शाकिर तथा ताराचन्द के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी मोहम्मद शाकिर व ताराचन्द तथा मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर है तथा स्वतंत्र गवाह मोहम्मद शफीक प्रतिनिधि इण्डेन गैस एजेन्सी के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 10.3 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:38 IST
Reason: SelfAttested